कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2018 / 336 दिनांक :: 25 अप्रैल,, 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: **गत बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि**

गत बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह जानकारी में आया कि गत बैठक 9 फरवरी, 2018 को बैठक आयोजित हुई कि जबकि सहवन से 19 फरवरी, 2018 अंकित है। अतः एजेण्डा में 19 फरवरी के स्थान पर 9 फरवरी, 2018 पढने का निर्णय लिया गया तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2018 के कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 31 व 32 को छोडकर क्योंकि उक्त प्रस्ताव में आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड की संख्या सहवन से गलत अंकित हो गयी है एवं जिसके शुद्धिकरण के लिए आज आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, छोडकर शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: **जोन–पूर्व के क्षेत्राधिकार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 571.87 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार।**

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतू गठित पब्लिक वर्क्स (PWC) की बैठक दिनांक 29.11.2017 मे जोन पूर्व के क्षेत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण का कार्य हेतु क्रम सं. 32 पर उक्त कार्य की 571.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुशंषा की गई है।

पीडब्ल्यूसी द्वारा जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्त सं. 4 के अनुसार उक्त कार्य की राशि 5 करोड़ अधिक है अतः स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। चूकि जोधपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियों की अनुसुची के बिन्दु सं. 1 के प्रावधान अनुसार 5 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार कार्यकारी समिति में निहित है अतः

25.4.18

उक्त कार्य की राशि 571.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार पी.डब्ल्यू.सी. के द्वारा प्रस्तावित 571.87 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: **जोन पूर्व के क्षेत्राधिकार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण के कार्य की मुल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 4945 दिनांक 06.03.2018 राशि रू. 571.87 लाख को लोट सं. 1 से 4 में स्पीलिट करने की कार्योतर स्वीकृति हेतु**

जोधपुर विकास प्राधिकरण में विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु गठित पब्लिक वर्क्स कमेटी (PWC) की बैठक दिनांक 29.11.2017 मे जोन पूर्व के क्षेत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण का कार्य हेतु क्रम सं. 32 पर उक्त कार्य की 571.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आयुक्त महोदय से अनुमोदन पश्चात जारी की जायेगी। जिसकी अनुपालना में पत्रावली के पेरा सं. 48 मे जेडीए महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कि गई है।

पत्रावली के पेरा सं. 45 एन से 48 एन में उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को कॉलोनी एवं पैकेज वाईज स्पिलिट करने की स्वीकृति कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा के जेडीसी महोदय द्वारा प्रदान की गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियों की अनुसूची के क्रम सं. 3 के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को स्पिलिट करने की पूर्ण शक्तिया अधिशाषी अभियंता को कार्य की बिना स्पिलिट किए मूल स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी की सहमति से प्रदान की गई है। उक्त कार्य 571.87 लाख का होने के कारण उक्त शक्तियां कार्यकारी समिति से प्रदान की गई है। अतः उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को निम्नानुसार स्पिलिट करने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि
1.	जोन पूर्व में पाबूपुरा, शिकारगढ़, अशोक विहार व एंकलेव मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर WBM एवं डामरीकरण कार्य।	140.36 लाख
2.	जोन पुर्व में झालामण्ड क्षेत्र, न्यायिक अकादमी क्षेत्र व वायु विहार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर WBM एवं डामरीकरण कार्य।	198.65 लाख
3.	जोन पूर्व में ग्राम डिगाडी क्षेत्र के सारण नगर ए,बी,सी व घनेश नगर में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर WBM एवं डामरीकरण कार्य।	77.36 लाख
4.	जोन पूर्व में ग्राम डिगाडी व नांदड़ी क्षेत्र के सज्जन लीला विहार, लक्ष्मण नगर, प्रेम विहार, मुकन्द विहार, शिव विहार व राजेन्द्र नगर में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सड़को पर WBM एवं डामरीकरण कार्य।	155.50 लाख
	कुल	571.87 लाख

25.4.18

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) के क्रम संख्या (3) के अनुसार मूल स्वीकृति के अधिकार कार्यकारी समिति को होने से कार्य को स्प्लीट (Split) करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रत्याशा में जारी स्वीकृति का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जालोरी गेट चौराहे के विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक करवाये गये आईटम्स का अनुमोदन कार्यकारी समिति मे करवाने हेतु प्रस्ताव

प्राधिकरण द्वारा जालोरी गेट चौराहे का विकास एवं सौन्दर्यकरण का कार्य अनुबंध सं. ए 38(32) 2016–17/जोन दाक्षिण के तहत करवाया गया है, जिसके लिए राशि रू 50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त कार्य के अन्तर्गत मौके पर आवश्यकता को देखते हुए अधिक आईटम(Excess item) सम्पादित करवाये गये जो निम्नानुसार है।

क.स	मद का विवरण	जी शेड्यूल की मात्रा	मौके पर सम्पादित मात्रा	मात्रा मे अन्तर	प्रतिशत
1.	centering & shuttering with plywood or steel sheets including strutting, propping, bracing both ways with wooden members and removal of formwork for superstructure up to 4.5 mtr above plinth,for suspended floors, roofs, landings, staircases, balconies, girders, cantilevers, bands, coping, bed plates, anchor blocks, sills, chhajjas intel, beam etc.	70.00 व.मी.	104.00 व.मी.	34.00 व.मी.	48.57 प्रतिशत
2.	Supplying & fixing ashlar coping moulded and counter slopped 7 to 10 pm. thick (2 line dressed)-do-for curb stone (a) Soorsagar or eqvt. White Ashlar (b) Red Ashlar	27.00 व.मी	39.56 व.मी	12.56 व.मी	46.52 प्रतिशत
3.	Providing and fixing Granite stone slab mirror polished and machine edge cut in walls, Pillars, Steps, Shelves, Sills, Counters, Floors etc. laid on 12 mm(Av.)thick base of cement mortar 1:3 joining with white cement mortar 1:2(1 white cement :2 marble dust) with pigment to match the shade of the marble slab complete	60.00 व.मी	83.92 व.मी	23.92 व.मी	39.87 प्रतिशत

25.4.18

	including grinding, rubbing and polishing of				
4.	Providing and fixing steel gate grating and grills made of angles, tees, square bars or other flats black pipe with holdfast and fittings complete as per design and drawing including cutting welding and fabrication with priming coat of red oxide.	100.00 कि. ग्रा.	145.00 कि. ग्रा.	45.00 कि. ग्रा.	45.00 प्रतिशत
5.	SMPS Supply for LED lights make OASE, fountains, premier ,jet fountains.	3.00 नग	4.00 नग	1.00 नग	33.33 प्रतिशत

मौके पर यातायात विभाग द्वारा 9 ट्रायल्स के पश्चात चौराहे के आकार मे वृद्वि करने एवं स्वीकृत नक्शे के अनुसार चौराहे का निर्माण किया गया जिसके कारण उक्त 5 आईटम की मात्रा मे बढोतरी हुई है। बढे हुए आईटमो की मात्रा जी अनुसूची की मात्रा से 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने के कारण इनकी स्वीकृति एसओपी के आईटम स. 27 के अनुसार कार्यकारी समिति की सक्षमता मे निहित है। अतः सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कम संख्या 1 लगाये 5 में जी शिड्यूल की मात्रा को 50 प्रतिशत से कम Excess कार्य करवाया गया है जिसका प्रतिशत वर्णित कम संख्या 1 लगाये 5 में अंकित है। शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) के आईटम संख्या 27 के अनुसार उक्त स्वीकृति कार्यकारी समिति की सक्षमता में निहित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: Administrative and Financial Sanction of the work 'Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan' costing to Rs. 75.00 Crores

With reference to above cited subject, it is to submit here that there is huge pressure of traffic on the RTO Phatak LC C-168, as there is always to and fro movements of vehicles coming to the RTO office for various purposes. During closure of Railway crossing, there is a position of traffic jam on both sides of the crossing, especially on the Jaipur-Jodhpur National Highway. Looking forward to resolve the problem of traffic jam and congestion, JDA Jodhpur has decided to construct a ROB at RTO Phatak. The construction of ROB will help in resolving the problem of traffic jam alongwith saving of valuable time and fuel. The consultancy work for preparation of General Arrangement Drawing (GAD) and Detailed Project Report (DPR) has been awarded to M/s WAPCOS Ltd. M/s WAPCOS Ltd has submitted the GAD of proposed ROB and the same has been approved by the CBE, NWR HQ, Jaipur on 04.04.2018. Meanwhile, the consultant M/s WAPCOS Ltd. has also submitted the cost estimate. As per the submitted estimate by the consultant, the estimated cost of the project is Rs. 75.00 Crores. The details are as under:-

25-4-18

S.No	Item	Cost
1	Construction of ROB including Railway Portion (A)	Rs. 58.94 Crores
2	Add Contingency Charges @4.5% on 'A'	Rs. 2.65 Crores
3	Railway Supervision Charges	Rs. 0.62 Crores
4	Expected Tender Premium @ 20.00% on 'A'	Rs. 11.79 Crores
5	Total (01 to 04)	Rs. 74.00 Crores
Say Rs. 75.00 Crores		

Jodhpur Development Authority, Jodhpur has submitted the request for sanction of this ROB on cost sharing basis and NWR Division Office, Jodhpur has forwarded the same request of cost sharing to NWR HQ Jaipur. NWR HQ Jaipur vide its approved GAD has made a note in the approved GAD stating that "Cost Sharing Work (To be processed for sanction in Work Program)". As the budget of Railway for FY2018-19 had already got finalized, so the cost sharing proposal shall be considered in next Financial Budget of FY 2019-20. Therefore, the cost of construction shall be borne by JDA Jodhpur. As per the present prevailing SOP's S. No. 01, the approval of the works costing more than Rs. 5.00 Crores is in the power of EC of the JDA. Hence the proposal is submitted before Executive Committee for Administrative & Financial Sanction of the work 'Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan' costing to Rs. 75.00 Crores.

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उक्त कार्य की जी.ए.डी. रेल विभाग द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) के बिन्दु संख्या 1 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्यकारी समिति आर.टी.ओ. फाटक एल.सी.सी. – 168 पर आर.ओ.बी. निर्माण के लिए 75.00 करोड रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रेल विभाग से निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्रस्तुत कर "कॉस्ट शैयर" करने के लिए पत्राचार किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: वर्ष 2018–19 के लिये कम्प्युटर ऑपरेटर/ संविदाकर्मी/ सुरक्षागार्डो के लिये प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कमशः राशि रू. 77.39 लाख, रू.104.12 लाख, रू. 110.00 लाख का अनुमोदन करने बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2018–19 के लिये कम्प्युटर ऑपरेटर–60/संविदाकर्मी–70/सुरक्षागार्डो–60 के लिये प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कमशः राशि रू. 77.39 लाख, रू. 104.12 लाख, रू. 110.00 लाख की आवश्यकता रहेगी। जिसकी स्वीकृति S.O.P पार्ट द्वितीय (Goods and Servieses) के क्रम स. 01 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक की सेवाओ के लिये प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति प्रोक्योरमेन्ट कमेटी की अभिशंषा पर कार्यकारी समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण प्रोक्योरमेन्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कम्प्युटर ऑपरेटर हेतु स्वीकृति कमांक 4987–90 दिनांक 20.03.2018 राशि रू. 77.39 लाख, संविदाकर्मी हेतु स्वीकृति कमांक 4991–94 दिनांक 20.03.2018 राशि रू. 104.12 लाख तथा सुरक्षागार्ड हेतु स्वीकृति कमांक 4983–86 दिनांक 20.03.2018 राशि रू. 110.00 लाख की कार्यकारी समिति में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में आयुक्त महोदय के पैरा एन/13 के तहत स्वीकृति जारी की गई। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति में किया जाना है। अतः उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

25.4.18

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में विचार विमर्श किया गया एवं वर्ष 2018– 2019 के लिए आयुक्त महोदय द्वारा जारी स्वीकृति जो कि कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी की गयी थी, का अनुमोदन करने का बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी करने का कार्य (वार्षिक दर संविदा) की दर अनुमोदन बाबत्।

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 17/2017–18 दिनांक 13.03.2018 में मैसर्स राजलक्ष्मी इन्टरप्राईजेज की दरे न्युनतम पाई गई। अतः उक्त दरो में नेगोशियेशन हेतु प्राधिकरण के पत्रांक 689 दिनांक 22.03.2018 के तहत पत्र जारी किया गया। जिसमें संवेदक ने अपने पत्र दिनांक 22.03.2018 के तहत प्रस्तुत दरो में सभी करो सहित **आईटम सं. 1)** A4 SIZE की 0.33 रू. प्रति पेज **आईटम सं. 2)** F3 SIZE की 0.81 रू. प्रति पेज **आईटम सं. 3)** FS SIZE की 0.45 रू. प्रति पेज तथा **स्पाईरल बाईडिंग** एक से असीमित पेज की 9.00 प्रति एक सेट करने की सहमति प्रदान की। जिसे सक्षम कमेटी ने विचार विमर्श कर समस्त दरे स्वीकृति उपरांत कार्यकारी समिति की प्रत्याशा मे अनुमोदित किया। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्राधिकरण कार्यालय में फोटो कॉपी करने का कार्य की उपरोक्त वार्षिक दर संविदा का सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: Revised A&F sanction of estimate for JDA Developed Sunder Singh Bhandari Scheme by accepting supervision charges & share cost charges included in estimates received from PHED

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence. following are the salient features related to work.

1. Executive Engineer, PHED, City Div. II vide letter no. EE/TA/4579 dated 16-10-2016 forwarded estimate of Rs 185.00 lacs which includ contingency charges @ 5% supervision charges @ 17.5%
2. Approval of Rs. 157.70 Lacs was accorded vide office order 1438 dated 22.02.17 excluding supervision charges.
3. First installment of Rs. 100.00 lacs was deposited in PHED vide cheque no. 978596 dated 09-03-2014
4. PHED has shown disability in taking up the work mentioning reason of non sanction due to exclusion of supervision charge in A &F sanction accorded by JDA.
5. PHED has conveyed that inclusion of supervision charges in estimate is mandatory as per norms of State Government and as such revised A & F sanction including supervision charges is must for further action at PHED level.
6. Matter has been discussed with PHED officers wherein they had submitted letters of Chief Engineer, PHED, Jaipur & Addl. Chief Engineer, PHED, Jodhpur in this regard for perusal and requested for according revised sanction.

25-4-18

7. EE, PHED City Div. II vide recent letter no. EE/TA/2991 dated 27-09-2017 has again requested for revising A & F sanction
8. Vide Agenda No 44 EC meeting held on 15-11-2017 original A&F Rs 157.70 lacs has been revised to 185 lacs including 17.5 % supervision charges
9. Further Executive Engineer, PHED, City Div. II vide letter no. EE/H/CD-II/2017-2018/6583-85 dated 13/03/2018 forwarded estimate of Rs 185.00 lacs which included contingency charges @ 5% supervision charges @ 17.5% and additional for preliminary proportionate share cost of the demand of 0.78 mld for Sunder Singh Bhandari Nagar 15.42 lacs (total 185+15.42 =200.42 lacs).
10. PHED Regularly demanding these charges for various colonies which are developed by JDA Hence a general decision is required by EC regarding these charges (Contingency Charges, supervision charges & preliminary share cost) and this case specific.

The total case is submitted for perusal and according approval.

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता श्री (डॉ) दिनेश पेडिवाल ने अवगत कराया कि सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पूर्व में 185.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है परन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त कार्य तब ही किया जा सकता है जबकि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर इसमें कॉस्ट शैयर भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रदान करें। जिसकी राशि लगभग इस प्रकरण में 15.42 लाख रूपये होती है। चर्चा में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से यह आपत्ति उठायी गयी कि कॉस्ट शैयर की राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राधिकरण से नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है। जिसपर अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया कि कॉस्ट शैयर का निर्णय राज्य सरकार ही संशोधित कर सकती है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण विशेष में शैयर कॉस्ट राशि सहित कुल राशि रूपये 200.42 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावे एवं निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा इस आशय की पत्रावली मय पत्र प्रस्तुत किया जावे कि राज्य सरकार को शैयर कॉस्ट को भविष्य की योजना के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से छूट मांगी जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: **जोधपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर होने वाले समान प्रकृति के प्रकरणों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं को फीस के भुगतान की दर के निर्धारण हेतु।**

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध व प्राधिकरण की ओर से अन्य पक्षकारों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर होने वाले प्रकरणों के संबंध में प्राधिकरण स्तर पर अब तक इस बिंदु पर निर्णय नहीं लिया गया है कि समान प्रकृति के कई प्रकरणों की स्थिति में प्राधिकरण के संबंधित पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ता को किस दर से फीस का भुगतान किया जावे (समान प्रकृति के प्रकरणों से तात्पर्य उन प्रकरणों से है जिनमें प्रकरणों के तथ्य, वाद कारण, चाहा गया अनुतोष व पारित होने वाले निर्णय एक समान होते हैं)। राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा वर्तमान में राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति मासिक परिश्रमिक के आधार पर की हुई है, अतः इस बिंदु पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों, आदेशों आदि में कोई मार्गदर्शन

25.4.18

उपलब्ध नहीं है। प्राधिकरण की विधि शाखा में कार्यरत विधि अधिकारीगण व कार्मिकों के लिए इस बिंदु पर स्पष्ट निर्देश उपलब्ध रहें व फीस भुगतान में समान व एकरूप व्यवस्था कायम रहे इस हेतु ऐसे समान प्रकृति के प्रकरणों में फीस भुगतान की दर तय होना आवश्यक व उचित है। समान प्रकृति के प्रकरणों में निम्नानुसार दर से फीस भुगतान उचित रहेगा –

यदि ऐसे समान प्रकृति के प्रकरणों की संख्या 5 से अधिक नहीं है तो प्रति प्रकरण निर्धारित फीस की दर से फीस का भुगतान किया जावे। यदि ऐसे प्रकरणों की संख्या 5 से अधिक है परंतु 20 से अधिक नहीं है तो प्रथम पांच प्रकरणों में प्रति प्रकरण निर्धारित फीस की दर से भुगतान किया जावे व शेष प्रकरणों में प्रति प्रकरण निर्धारित फीस की दर की आधी फीस दर से भुगतान किया जावे। ऐसे समान प्रकृति के प्रकरणों की संख्या 20 से अधिक होने पर 20 प्रकरणों की संख्या तक उक्त वर्णित दर (5 प्रकरणों तक प्रति प्रकरण निर्धारित फीस दर से व 6 से 20 प्रकरणों तक प्रति प्रकरण निर्धारित फीस दर की आधी फीस दर से) से भुगतान किया जावे व 20 से ऊपर शेष प्रकरणों में निर्धारित फीस दर की चौथाई फीस दर से फीस का भुगतान किया जावे। समान प्रकृति वाले समस्त लंबित, निर्णीत व भविष्य में दायर होने वाले प्रकरणों में, चाहे वे किसी भी न्यायालय में दायर हों, उक्त दर से फीस भुगतान किया जावे।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्तागणों को फीस के भुगतान करने का बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: **श्रीमती सम्पति पुत्री श्री गोरधन जी को लॉटरी दिनांक 08.10.1974 को भूखण्ड संख्या 264 सेक्टर सी सरस्वती नगर योजना मे 200 वर्ग गज आकार का भूखण्ड आवंटन हुआ था। आवंटित भूखण्ड की सम्पुर्ण किमत राशी प्रार्थी द्वारा समय अवधि मे जमा करा दी गई है। प्रार्थी को आंवटित भूखण्ड भौतिक कब्जा सूपर्द नही करने से प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सी रिट संख्या 1284/2014 दर्ज कराई थी।**

श्रीमती सम्पति पुत्री श्री गोरधन जी को लॉटरी दिनांक 08.10.1974 को भूखण्ड संख्या 264 सेक्टर सी सरस्वती नगर योजना मे 200 वर्ग गज आकार का भूखण्ड आवंटन हुआ था। आवंटित भूखण्ड की सम्पुर्ण किमत राशी प्रार्थी द्वारा समय अवधि मे जमा करा दी गई है। प्रार्थी को आंवटित भूखण्ड भौतिक कब्जा सूपर्द नही करने से प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.सी रिट संख्या 1234/2014 दर्ज कराई थी।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11792/2010 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तीन अन्य याचिकाओ माननीय न्यायालय के आदेश 10.11.2017 की पालना हेतू प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के द्वारा ऐसे प्रकरणो की निस्तारण के लिये जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, एवम नगर निगम जोधपुर मध्य क्षेत्राधिकार सम्बंधित विवाद से लम्बित हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवम नगर निगम जोधपुर की सयूक्त परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाकर सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण को समिति का सयोजक नियुक्त किया गया था।

सयुक्त परिवदना निस्तारण समिति के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड की देयता स्वीकार कि गई है।

25.4.18

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आवासीय योजना रामराज नगर एवम अरणा विहार योजना मे निम्न भूखण्ड रिक्त है जिसमे से एक भूखण्ड प्रार्थी को वेकल्पिक आवंटन हेतु कार्यकारी समिति बैठक द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

रामराज नगर

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग गज	वर्ग मि.
10	1	30ग 64	213.33	178.36
15	1	30ग 64	213.33	178.36
16	1	30ग 64	213.33	178.36
18	1	30ग 64	213.33	178.36

अरणा विहार

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग मि.	वर्ग गज
106	ए	13x 18	234	279.87
163	ए	13x 18	234	279.87
33	बी	9x 18	162	193.75
113	बी	9x 18	162	193.75

निर्णय

बैठक में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति जिसके सदस्य नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी सम्मिलित रूप से है, गठित किया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिये थे कि इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों को उक्त समिति निस्तारित करें। संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति की सिफारिश के अनुसार श्रीमती सम्पति पुत्री श्री गोरधन जी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 264 सेक्टर सी सरस्वती नगर योजना क्षैत्रफल 200 वर्ग गज का कब्जा नहीं दिया जा सकने के कारण रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 10 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 213.33 वर्ग गज आवंटित किया जावे एवं अतिरिक्त 13.33 वर्ग गज भूमि की कीगत राशि वर्तमान आरक्षित दर से प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: **नरेन्द्र कुमार पटेल भू. संखया 101 सेक्टर डी कमला नेहरू नगर एवम भू संखया 259 सेक्टर बी सरस्वती नगर के एवज मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना भूखण्ड आवंटन बाबत।**

श्री एन के पटेल को लॉटरी दिनांक 23.10.1983 को भूखण्ड संखया 101 सेक्टर बी कमला नेहरू नगर आवंटन हुआ था जबकी प्रार्थी को भू. संख्या 101 सेक्टर डी आवंटन होना प्रतीत होता है। प्रार्थी को भू. संख्या 259 बी सरस्वती नगर का दिनांक 06.09.1989 को डीमांड नोटिस जारी किया प्रार्थी से 18383.47 रू जमा कराने हेतू डीमांड नोटिस दिया गया जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा रशीद नम्बर 2/76 दिनांक 04.11.1989 को 19150 रू जमा कराये है।

प्रार्थी द्वारा भू संख्या 259 सेक्टर बी सरस्वती नगर का आवंटन लेने से इसलिए इनकार किया की प्रार्थी को 300 वर्ग गज तक का भू. आवंटन किया जाना था जबकी सरस्वती नगर का भू. 188.89 वर्ग गज का था।

25.4.18

प्रार्थी कि मुल पत्रावली नगर निगम जोधपुर को हस्तांतरीत की गई थी नगर निगम जोधपुर द्वारा उक्त पत्रावली की फोटो प्रति द्वारा प्रस्तुत कर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से वेकल्पिक भू. आवंटन करने का निवेदन किया है।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11792/2010 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तीन अन्य याचिकाओ माननीय न्यायालय के आदेश 10.11.2017 की पालना हेतू प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के द्वारा ऐसे प्रकरणो की निस्तारण के लिये जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, एवम नगर निगम जोधपुर मध्य क्षेत्राधिकार सम्बंधित विवाद से लम्बित हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवम नगर निगम जोधपुर की सयूक्त परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाकर सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण को समिति का सयोजक नियुक्त किया गया था।

सयुक्त परिवदना निस्तारण समिति के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड की देयता स्वीकार कि गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आवासीय योजना रामराज नगर एवम अरणा विहार योजना मे निम्न भूखण्ड रिक्त है जिसमे से एक भूखण्ड प्रार्थी को वेकल्पिक आवंटन हेतु कार्यकारी समिति बैठक द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

रामराज नगर

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग गज	वर्ग मि.
269	1	39x 69	299.00	249.99
272	1	39x 69	299.00	249.99
273	1	39x 69	299.00	249.99
279	1	39x 69	299.00	249.99

अरणा विहार

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग मि.	वर्ग गज
184	ए	13x 18	234	279.87
185	ए	13x 18	234	279.87
10	ए	15x 25	375	448.51
72	ए	15x 25	375	448.51
94	बी	9x 18	162	193.75
138	बी	9x 18	162	193.75

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री एन.के. पटेल को लॉटरी द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 29183 को भूखण्ड संख्या 101-डी, कमला नेहरू नगर आवंटित हुआ था। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज था, का कब्जा नहीं दिया जा सकने के कारण उन्हें एवज में सरस्वती नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-259 क्षेत्रफल 188.89 वर्ग गज आवंटित किया गया था। जिसकी राशि उनके द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 1989 को जमा करा दी गयी थी परन्तु उन्हें इस भूखण्ड का भी कब्जा नहीं दिया जा सका एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त परिवेदना समिति ने उक्त भूखण्ड के एवज में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने की अनुशंषा की है। श्री एन.के. पटेल का निधन हो जाने के कारण उनकी वारिश उनकी पत्नी को रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 279 सेक्टर क्षेत्रफल 299.00 वर्ग गज आवंटित किये जाने का बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त क्षैत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर से वसूल की जावे।

25.4.18

प्रस्ताव संख्या 12 :: श्री आनन्द किशन सिंधल भूखण्ड संख्या 5 सुभाष नगर एवम 112 सेक्टर बी सरस्वती नगर के एवज मे वेकल्पिक भूखण्ड आंवटन बाबत।

श्री आनन्द किशन सिंधल को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 5 ए सुभाष नगर 333.33 वर्ग गज आकार का भूखण्ड आवंटन हुआ था प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की सम्पुर्ण राशी जमा करा समयावधी मे जमा करा दी थी। चूकी भूखण्ड संख्या 5 ए सुभाष नगर का मानचित्र मे उक्त भूखण्ड नही था एवम भूखण्ड संख्या 5ए सुभाष नगर के एवज मे तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 77 सुभाष नगर का आवंटन किया गया था किन्तु उपरोक्त भूखण्ड निजी खातेदारी की होने से उपरोक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिया था। तथा तत्कालीन नगर विकास न्यास कि आवंटन समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 112 सेंक्टर डी सरस्वती नगर के भौतिक कब्जा नही देने से प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे सी.बी.सी .डब्लू.टी नं. 11906/12 के अनुसार दर्ज की गई है ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11792/2010 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तीन अन्य याचिकाओ माननीय न्यायालय के आदेश 10.11.2017 की पालना हेतू प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के द्वारा ऐसे प्रकरणो की निस्तारण के लिये जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, एवम नगर निगम जोधपुर मध्य क्षेत्राधिकार सम्बंधित विवाद से लम्बित हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवम नगर निगम जोधपुर की सयूक्त परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाकर सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण को समिति का सयोजक नियुक्त किया गया था।

सयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड की देयता स्वीकार कि गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आवासीय योजना रामराज नगर एवम अरणा विहार योजना मे निम्न भूखण्ड रिक्त है जिसमे से एक भूखण्ड प्रार्थी को वेकल्पिक आवंटन हेतु कार्यकारी समिति बैठक द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

रामराज नगर

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग गज	वर्ग मि.
44	2	30x 64	213.33	178.36
50	2	30x 64	213.33	178.36

अरणा विहार

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग मि.	वर्ग गज
240	बी	8x 15	120	143.52
239	बी	8x 15	120	143.52
61	सी	9x 18	162	193.75
68	सी	9x 18	162	193.75
40	ए	15x 25	375	448.51
94	ए	15x 25	375	448.51
113	ए	13x 18	234	279.87
127	ए	13x 18	234	279.87

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री आनन्द किशन सिंहल को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 5—ए, सुभाष नगर योजना में क्षैत्रफल 333.33 वर्ग गज का आवंटन हुआ था जिसकी राशि भी उनके द्वारा जमा करवा दी गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित संयुक्त परिवेदना समिति की अनुशंषा अनुसार श्री आनन्द किशन सिंहल को

25.4.18

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अरणा विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 127 सेक्टर–ए क्षेत्रफल 279.87 वर्ग गज आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री विष्णु परिहार भूखण्ड संख्या 244 सरस्वती नगर सेक्टर सी का एवज मे अन्यत्र भूखण्ड आवंटन।

श्री विष्णु परिहार की फोटो–प्रति पत्रावली नगर निगम जोधपुर से प्राप्त हुई है प्रार्थी द्वारा नगर विकास न्यास के चालान नम्बर आर.एल 6/74/333/1415 दिनांक 04.03.1974 के अनुसार 660 रू भूमि की कीमत व तत्पश्चात लीज राशि (वार्षिक रूप से) जमा करवाये जाने की सूचना संलग्न है, प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे सी.बी.सी .डब्लू.टी नं. 7256/2013 द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड हेतू याचिका दर्ज की गई है ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11792/2010 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तीन अन्य याचिकाओ माननीय न्यायालय के आदेश 10.11.2017 की पालना हेतू प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के द्वारा ऐसे प्रकरणो की निस्तारण के लिये जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, एवम नगर निगम जोधपुर मध्य क्षेत्राधिकार सम्बंधित विवाद से लम्बित हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवम नगर निगम जोधपुर की सयूक्त परिवेदना निस्तारण समिति का गठन किया जाकर सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण को समिति का सयोजक नियुक्त किया गया था।

सयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति के कार्यवाही विवरण के अनुसार प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड की देयता स्वीकार कि गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आवासीय योजना रामराज नगर एवम अरणा विहार योजना मे निम्न भूखण्ड रिक्त है जिसमे से एक भूखण्ड प्रार्थी को वेकल्पिक आवंटन हेतु कार्यकारी समिति बैठक द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

रामराज नगर

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग गज	वर्ग मि.
20	1	30x 64	213.33	178.36
30	1	30x 64	213.33	178.36

अरणा विहार

भू. सं.	सेक्टर	भू.साईज	वर्ग मि.	वर्ग गज
59	ए	15x 25	375	448.51
54	ए	15x 25	375	448.51
36	बी	9x 18	162	193.75
124	बी	9x 18	162	193.75
187	ए	13x 18	234	279.87
197	ए	13x 18	234	279.87

निर्णय

श्री विष्णु परिहार को भूखण्ड संख्या 244–सी, सरस्वती नगर योजना क्षैत्रफल 200 वर्ग गज आवंटित हुआ था। जिसका कब्जा श्री विष्णु परिहार को नहीं दिया जा सका। यद्यपि उनके द्वारा भूखण्ड की कीमत व लीज राशि वार्षिक रूप से जमा करवायी गयी थी। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त परिवेदना समिति की अनुशंषा के कम में निर्णय लिया गया कि श्री विष्णु परिहार को प्राधिकरण की अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या 36–बी क्षैत्रफल 193.75 वर्ग गज आवंटित किया जावे।

25.4.18

प्रस्ताव संख्या 14 :: आवास गृह संख्या 16 सी ग्राम चौखा वाम्बे योजना के आवंटन पत्र की पुष्टि बाबत।

श्रीमती मंजू गहलोत द्वारा वाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती आवासीय योजना मे आवेदन क्रमांक 4401 का आवेदन किया था। दिनांक 25.04.2006 को लॉटरी निकाली जाने पर सूची मे आवेदन क्रमांक 4401 तथा नाम गीता देवी पत्नि कमल किशोर के नाम अंकित है दोनो प्रार्थी द्वारा आवास गृह संख्या बी 241 चौखा की राशी जमा करा दी थी।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष मंच द्वितीय मे दर्ज करवाया था जिला मंच उपभोक्ता विभाग प्रतितोष मंच के निर्णय दिनांक 03.08.2015 के अनुसार आवास गृह संख्या बी 241 के बदले मे रिक्त आवास आवंटन करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त प्रकरण मे आयुक्त महोदय द्वारा न्यायालय के निर्णय की पालना करने का पत्रावली मे आदेश है जिसके अनुरूप प्रार्थीयो को आवास सं 16 सी ग्राम चौखा वाम्बे योजना का आवंटन पत्र जारी किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यकारी समिति बैठक मे किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक मे पुष्टि हेतू रखा जाना प्रस्तावित है

निर्णय

बैठक में प्रस्ताव अनुसार जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष मंच के निर्णय अनुसार श्रीमती मंजू गहलोत को ग्राम चौखा वाम्बे योजना में आवास संख्या सी–16 उनको पूर्व में आवंटित आवासगृह संख्या 241–बी चौखा का दोहरा आवंटन होने के कारण विकल्प में आवंटित किये जाने का बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को खसरा नं. 72 ग्राम चौखा मे भूमि आवंटन बाबत।

मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) का निर्माण हेतु 6200 वर्ग मी. भूमि खसरा नं. 72 ग्राम चौखा मे आवंटन का अनुरोध किया था, तद्पश्चात मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ अधिकारी द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र स में 6200 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा खसरा नं. 72 का कुल रकबा 727/12 बीधा भूमि किस्म गैर मू. पहाड है एवं उपरोक्त खसरे की भूमि राजस्व रिकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है, तथा भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चौखा मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र मे स्थित है (मास्टर प्लान रिपोर्ट अनुसार परिधी नियंत्रण क्षेत्र मे सामुदायिक भवन स्वास्थ्य केन्द्र कि अनुज्ञता का उल्लैख नही किया गया है) आवेदित भूमि का चिन्हि करण पटवारी द्वारा करवाया जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.07.2017 अनुसार व्यापक जन हित के परिपेक्षय मे भू–उपयोग परिर्वतन किया जाना अंकित किया गया है।

25-6-18

अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु खसरा नं. 72 ग्राम चौखा मे 6200 वर्ग मी. भूमि आवंटन एवम भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक मे विचारार्थ एवम निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी के निर्माण हेतु खसरा संख्या 72 ग्राम चौखा में 6200 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि मौका रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 4000 वर्ग मीटर तक की भूमि निःशुल्क आवंटन करने के लिए विकास प्राधिकरण को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है। परन्तु प्रकरण में भूमि की मांग 6200 वर्ग मीटर है जो कि प्राधिकरण में निहित शक्तियां से अधिक है जिसके लिए उपरोक्त आदेश के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 72 की भूमि मास्टर प्लान 2023 में नगरीयकरण सीमा के बाहर है एवं मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में इसका भू–उपयोग आवासीय, यू–2, वाटर बॉडी, वृक्षारोपण, पहाडी व चट्टानी है एवं इस खसरा विशेष पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। इस कम में दिनांक 25 जुलाई, 2017 को माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या (ii) के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित में किया जा सकता है। लिहाजा इस प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की भी आवश्यकता है। नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 10 (35) नविवि/3/ 2010 दिनांक 8 जून, 2015 के बिन्दु संख्या 5.4 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति भू–उपयोग परिवर्तनों के प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण स्तरीय समिति होगी एवं बिन्दु संख्या 6.1 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति 6,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भू–उपयोग परिवर्तन के लिए अधिकृत है। इसी प्रकार राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ. 10 (35) यूडीएच/ 3/ 2010 पार्ट दिनांक 20 जुलाई, 2017 में Larger Public Interest (व्यापक जनहित) के लिए मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन करने की छूट प्रदान की गयी है जिसमें बिन्दु संख्या 1 में केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालय सम्मिलित है। चूंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा विभिाग की एक संस्था है जो कि राजकीय है लिहाजा कार्यकारी समिति उपरोक्त अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (संस्थानिक) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन करने की सर्व सम्मति से अनुशंषा करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी के लिए 6200 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन एवं भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित करने का बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: राजकिय प्राथमिक विधयालय बिडासनी के खसरा नं. 118,193 मे विधयालच भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति लूणी एवम जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक जोधपुर द्वारा राजकिय प्राथमिक विधयालय बिडासनी खसरा नं. 118,193 हेतु 15 बीधा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है तदपश्चात शिक्षा विभाग द्वारा नविन आवंटन निति 2015 के तहत प्रपत्र–स मे 15 बीधा भूमि विधयालय भवन हेतु आवेदन किया है।

तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिडासनी खसरा नं. 118 का रकबा 4.14 बीधा भूमि किस्म गै.मू. गौचर है तथा उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड मे जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना नही बताया है।

25.4.18

खसरा नं. 193 ग्राम बिडासनी का रकबा 9.06 बीधा भूमि कि किस्म गै.मू. गौचर है तथा उक्त खसरे की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा खसरा नं.193 मे राजकिय प्राथमिक विधयालय द्वारा 2.11 बीधा भूमि पर चार दिवारी वह विधालय भवन निर्मित होना दर्शाया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बिडासनी मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग परिधी नियंत्रण क्षेत्र मे स्थित है राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.07.2017 अनुसार व्यापक जन हित के परिपेक्षय मे भू–उपयोग परिर्वतन किया जाना अपेक्षित दर्शाया है।

अतः राजकिय प्राथमिक विधालय हेतु खसरा नं. 118,193 ग्राम बिडासनी मे 15 बीधा भूमि आवंटन एवम भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्ररकण कार्यकारी समिति बैठक मे विचारार्थ एवम निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिडासनी में भवन खसरा संख्या 193 में 2.11 बीघा भूमि पर चार दीवारी सहित निर्मित है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर है तथा यह भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। भूमि आवंटन नीति के अनुसार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के लिए संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। चूंकि इस प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षैत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है जिसके लिए सक्षम शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। इस क्रम में राज्य सरकार ने हाल ही में जारी आदेश क्रमांक प. 1 (66) नविवि/ जोधपुर/ 2015 दिनांक 14 मार्च, 2018 उल्लेखनीय है। जिसके बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि, "निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर निर्मित विद्यालय की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भिजवायी जावे। राज्य सरकार को ऐसी सूची प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित हो सकेगी।" इसके अतिरिक्त ग्राम बिडासनी पंचायत समिति लूणी के खसरा संख्या 193 आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार मास्टर प्लान – 2031 के क्षैत्र में स्थित है एवं इसका भू–उपयोग यू–2 है जिसमें विद्यालय का भू–उपयोग अनुज्ञेय है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकरण में किसी प्रकार के भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है एवं चूंकि आवेदित क्षैत्रफल भूमि आवंटन नीति के अनुसार अनुमत क्षैत्रफल से अधिक है इसलिए प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समिति द्वारा अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: नवसृजित ग्राम पंचायत महादेव नगर उन्देड़ा के खसरा नं. 646 में कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन के बाबत्।

विकास अधिकारी द्वारा नवगठित ग्राम पंचायत महादेव नगर उन्देडा के ख नं. 646 में 10 बीघा भूमि आवंटन का अनुरोध किया था, तद्पश्चात् विकास अधिकारी द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र स में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्रामपंचायत महादेव नगर उन्देड़ा ख. सं. 646 का रकबा 165–14 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाखर दर्शाया है, एवं उपरोक्त खसरे की भूमि राजस्व रिकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है, तथा भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम महादेव नगर उन्देड़ा खसरा नं. 646 मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार रूलर एरिया मे स्थित है, के अनुसार भू–उपयोग है, जिसमें कार्यालय भवन हेतु उपयोग अनुज्ञेय नही दर्शाया है।

25.4.18

चुंकि उपरोक्त प्रकरण सार्वजनिक public interest का होने से प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था राज्य सरकार के पत्रांक प.1 (49) न.वि.नि./जोधपुर/2016 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायत महादेव नगर उन्देडा खसरा 646 किस्म गै. मू भाकर मे से कार्यालय भवन हेतू 1000 वर्ग मी. भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन करने कि अनुमति प्रदान की गई है।

अतः नवसृजित ग्राम पंचायत महादेव नगर उन्देडा खसरा 646 के कार्यालय भवन हेतु 1000 वर्ग मी भूमि आंवटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक मे विचारार्थ एवम निर्णार्याथ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1 (49) नविवि/ जोधपुर/ 2016 दिनांक 5 फरवरी, 2018 के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायत महादेव नगर उन्देडा खसरा संख्या 646 गैर मुमकिन भाकर में से कार्यालय भवन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमत किया गया है। लिहाजा प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम महादेव नगर उन्देडा में खसरा संख्या 646 में 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने एवं प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होने से भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या 121–ए, पूर्वी पाल रोड योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत् । (श्री गोबरराम पुत्र रामलाल)

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर श्री गोबरराम पुत्र रामलाल को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए खसरा नं. 740/996 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 740/996 रकबा 14.15 बीघा में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्ध वाद दायर किये गये। वाद संख्या एस.एल.पी 14156/2008 बनाम शौकत खां में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.2008 द्वारा निर्णय प्राधिकरण के विपरित रहा है। उक्त खसरे में आवंटित भूखण्डों को भूखण्ड देने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ । कार्याकारी समिति के निर्णय दिनांक 08.09.2017 के प्रस्ताव संख्या 33 के अनुसार राजीव गांधी नगर ग्राम चौखा में भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय किया गया । श्री गोबरराम को कार्यालय के पत्र क्रमांक 573 दिनांक 14.07.2017 द्वारा राजीव गांधी नगर में भूखण्ड संख्या 213 व 384 सेक्टर–जे आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा गया । श्री गोबर राम द्वारा दिनांक 09.01.2018 के प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड संख्या 213 सेक्टर–जे व भूखण्ड संख्या 384 सेक्टर–आई राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड लेने से मना कर अन्य योजना अरणा विहार योजना में पूर्व में आवंटित में भूखण्ड संख्या 121–ए, पूर्वी पाल रोड योजना के बदले आवंटन करने की सहमति प्रदान की है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 121–ए क्षैत्रफल 43.85 वर्ग मीटर श्री गोबर राम पुत्र श्री रामलाल को आवंटित हुआ था। उक्त प्रकरण में श्री गोबर राम को खसरा संख्या 740/996 विवादित होने के कारण श्री गोबर राम को उक्त भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका था। पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय दिनांक 8 सितम्बर, 2017 के अनुसार श्री गोबरराम को राजीव गांधी नगर चौखा में भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया था किन्तु श्री गोबरराम द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

28-4-18

कर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड लेने से मना कर अरणा विहार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रदान की है। प्रकरण में सर्व सम्मति से विचार विमर्श किया गया एवं यह भी जानकारी में आया कि यह मामला माननीय लोकायुक्त सचिवालय में भी विचाराधीन है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री गोबर राम पुत्र श्री रामलाल को पूर्व आवंटित भूखण्ड पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अरणा विहार योजना में आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर–'ए' झरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत् । (श्रीमति बरजु देवी पत्नी श्री बागाराम)

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.08.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर–'ए' श्रीमति बरजु देवी पत्नी श्री बागाराम को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्रीमति बरजु देवी पत्नी श्री बागाराम को क्रमांक 622 दिनांक 21.10.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्रीमति बरजु देवी पत्नी श्री बागाराम द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, प्रार्थीनी द्वारा राशि आवंटन पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् जमा कराने की मांग की गई है। 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है, प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की राशि जमा कराने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति की स्वीकृति के पश्चात् भूखण्ड की राशि 15 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत शास्ती सहित जमा की जा सकती है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श प्रस्ताव अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार में होने से नियमानुसार ब्याज व शास्ति लगाते हुए भूखण्ड नियमन करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर–'ए' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत् । (श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी)

प्रार्थी श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर–'ए' क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा दी गई है । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–'ए' में मुटाम नहीं लगे हुए है, तथा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी पर है और भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार का मार्गाधिकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी को इसी योजना में समान आकार का भूखण्ड देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सेक्टर–'ए' में 332 सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वगीटर व सेक्टर–'बी' में 288 सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर व सेक्टर–'ई' में 395 से 408 तक सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के भूखण्ड प्रस्तावित किए गये है । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 31 में लिये

25.4.18

गये निर्णय अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 322 सेक्टर–ए में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया । जबकि मौके पर भूखण्ड संख्या ए–322 कॉर्नर का है । प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 332 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर में 12 मीटर रोड पर 275 वर्गमीटर का समान आकार का है । पूर्व कार्यकारी समिति बैठक के एजेण्डा में भूखण्ड संख्या 332–ए हेतू रखा गया, परन्तु बैठक कार्यवाही विवरण में भूखण्ड संख्या 322–ए प्रकाशित हो गया । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में पुनः रखा जाकर भूखण्ड संख्या 332–ए हेतू निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुए भूखण्ड संख्या 332–ए, राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275.00 वर्ग मीटर का आवंटन भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर के स्थान पर आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर–'ए' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत् । (श्री मनीष माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी)

प्रार्थी श्री मनीष माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर–'ए' क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा दी गई है । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–'ए' में मुटाम नहीं लगे हुए है, तथा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी पर है और भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार का मार्गाधिकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी को इसी इसी योजना में समान आकार का भूखण्ड देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सेक्टर–'ई' में 137 से 144 सडक 18 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के भूखण्ड प्रस्तावित किए गये है । प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 32 में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर–ए राजीव गाधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड संख्या 377 सेक्टर–ई, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन करने का निर्णय लिय गया । जिसका नाप 162 वर्गमीटर है । जबकि प्रार्थी को कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 137 से 144 सेक्टर–ई तक रिक्त मे से आवंटन किया जाना है । जिसका नाप 275 वर्गमीटर है तथा सडक 18 मीटर पर है ।

प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गत कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय में सहवन से हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए प्रार्थी को वैकल्पिक रूप से भूखण्ड संख्या 137–ई क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्री श्याम सुन्दर बिस्सा पुत्र श्री ताराचन्द बिस्सा को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 187 सेक्टर–'बी' के बदले रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत् ।

25.4.18

प्रार्थी श्यामसुन्दर बिस्सा पुत्र श्री ताराचन्द बिस्सा को पूर्वी पाल रोड योजना में दिनांक 04.08.1989 लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 83 सेक्टर–डी आवंटित किया गया । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि जमा करवा कर लीजडीड जारी करने की मांग की गई । उक्त योजना में खसरा विवाद होने के कारण जिला उपभोक्ता विवादित प्रतितोष मच जोधपुर (प्रथम) प्रकरण संख्या 216/2010 के निर्णय दिनांक 04.12.2013 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.01.2013 के प्रस्ताव संख्या 11 की पालना में राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटित करने के अनुसार स्टेडिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.10.2015 के निर्णय की पालना में भूखण्ड संख्या 187 सेक्टर–'बी' 162 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीव गांधी नगर योजना में उक्त भूखण्ड पहाडी ढलान पर गहरे खड्डे में बरसाती पानी का बहाव की डुब में आया हुआ होने के कारण भूखण्ड संख्या बी–187 लेने से मना कर दिया व प्राधिकरण की अन्य योजना रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर 05 आवंटन करने की मांग की गई ।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में सर्व सम्मति से विचार विमर्श किया गया एवं मौका रिपोर्ट एवं जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर के निर्णय दिनांक 4 दिसम्बर, 2013 के कम में प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर बिस्सा को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–83 क्षैत्रफल 120.00 वर्ग मीटर जिसकी राशि व लीज राशि जमा करवायी जा चुकी है, के स्थान पर भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर–5, क्षैत्रफल 112.25 वर्ग मीटर रामराज नगर योजना आवंटित करने का बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: **श्रीमति ललितकला राजपुरोहित पत्नी स्व. श्री आनन्द सिंह राजपुरोहित व श्री भरत पुत्र स्व. श्री आनन्द सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या 19 सेक्टर–जी, पूर्वी पाल रोड योजना के बदले रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन करने बाबत् ।**

प्रार्थी श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह को लॉटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड संख्या 19 सेक्टर–'जी' क्षैत्रफल 120 वर्गमीटर पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने की मांग की थी । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त योजना में खसरा वाद बताया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त योजना में खसरा वाद होने के कारण जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर (प्रथम) में विचाराधीन प्रकरण संख्या 673/2013 में प्रार्थीया श्रीमति ललितकला राजपुरोहित वगैराह ने माननीय न्यायालय में वाद दायर होने के कारण प्रार्थी को प्राधिकरण की अन्य योजना में रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में समान आकार का भूखण्ड संख्या 125 सेक्टर–4 आवंटित करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक पर विचार विमर्श किया गया जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच–I में विचाराधीन प्रकरण संख्या 673/2013 में प्रदत्त निर्देश के कम में प्रार्थी श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 19–जी क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर भूखण्ड संख्या 125, रामराज नगर योजना सेक्टर–4 क्षैत्रफल 113.8 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया गया।

25.4.18

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्रीमति रेणु गुप्ता पुत्री श्री निरंजन लाल गुपता को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 5 सेक्टर–'बी' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा को बहाल करने बाबत्

श्रीमति रेणु गुप्ता पुत्री श्री निरंजन लाल गुप्ता को प्राधिकरण की लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के जरिये राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड संख्या 5 सेकटर–'बी' में 375 वर्गमीटर का आवंटित किया गया था । प्रार्थीया ने 75,000/– प्रतिमाह आय दर्शाते उच्च आय वर्ग में आवेदन कर दिया । आवेदन पत्र के अंतिम कॉलम में "45001 से 65,000 रूपये तक" अंकित था। प्रार्थीनी द्वारा आंवटित भूखण्ड की राशि जारी आवंटन पत्र के अनुसार रसीद संख्या 9002/2070 दिनांक 08.05.2010 के जरिये रूपये 8,03,850/– एवं रसीद संख्या 9001/12140 दिनांक 16.06.2010 के जरिये वर्ष 2010–2011 की लीज राशि रूपये 7969/– जमा करवा दिये है । प्रार्थीनी का आवंटन निर्धारित आय वर्ग से अधिक होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 8875–8878 दिनांक 15.11.2010 के जरिये भूखण्ड को निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि 25,000/– जब्त कर ली गई। प्रार्थीनी ने भूखण्ड निरस्तीकरण के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 730/11 वाद दायर कर दिया गया, जो अभी निर्णित होना शेष है । प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूखण्ड को पुनः बहाल करने हेतु कार्यालय में की गई टिप्पणी अनुसार प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 को प्रस्तुत किया है । सचिव महोदय को प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नोटिफिकेशन की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार यह जाहिर है कि दिनांक 29.05.2009 को यह नोटिफिकेशन लागू हो गया था । जिसमें 65,000/– से 80,000/– प्रति माह आय वर्ग के लिए आरक्षित दर 150 प्रतिशत की दर से राशि ली जानी थी । इस योजना में आवेदन प्रारम्भ 20.10.2009 को हुए है, तब तक यह नोटिफिकेशन प्रभावी हो चुका था । प्रार्थीनी द्वारा भूखण्ड निरस्तीकरण पर राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा बताया है । प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि उसका भूखण्ड बहाल किया जाए तो उसके द्वारा न्यायालय में दायर वाद वापिस ले लिया जाएगा । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जावे कि प्रासंगिक प्रकरण में क्योंकि उसकी श्रेणी 150 प्रतिशत आरक्षित दर में सम्मिलित थी परन्तु उनके द्वारा जो राशि जमा करवायी गयी थी वह आरक्षित दर के अनुसार ही जमा करवायी गयी थी। अतः यदि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में प्रकरण निर्णित किया जाता है तो वह उक्तानुसार तत्कालीन आरक्षित दर की डेढ गुणा के हिसाब से अन्तर राशि जमा करवाने को तैयार है। यदि उक्त अनुसार अण्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी जाती है तो प्रकरण में राज्य सरकार को मार्गदर्शन के लिए भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: भूखण्ड संख्या 264 तुलसी कोलोनी कबीर नगर के एवज में भूखण्ड संख्या 200 सेक्टर विज्ञान नगर का आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जोधपुर के प्रकरण संख्या 787/2013 एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच जोधपुर राजस्थान का प्रकरण संख्या 78/2015 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के निर्णय अनुसार भूखण्ड संख्या 264 तुलसी कोलोनी कबीर नगर के एवज में भूखण्ड संख्या 200 सेक्टर विज्ञान नगर जोधपुर का क्षेत्रफल 15 x 30 = 41.81 वर्गमीटर का निर्णय की पालना में आवंटन किया जाना है।

25.4.18

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में भूखण्ड संख्या 264 तुलसी कोलोनी कबीर नगर का क्षेत्रफल 13 x 40 = 39.85 वर्गमीटर के एवज में भूखण्ड संख्या 200 सेक्टर बी विज्ञान नगर योजना का क्षेत्रफल 15 x 30 = 41.81 वर्गमीटर आवंटन किया जाने वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के निर्णय दिनांक 19 जुलाई, 2017 की पालना में भूखण्ड संख्या 200–बी, विज्ञान नगर क्षैत्रफल 41.41 वर्ग मीटर प्रस्ताव अनुसार विकल्प में आवंटित किया जावे एवं अतिरिक्त भूमि की राशि वर्तमान आरक्षित दर से वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: **ग्राम पंचायत खोखरिया के खसरा नं. 166 रकबा 1000 वर्गमीटर उच्च जलाशय संग्रहक हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।**

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के निर्धारित आवेदन प्रारूप प्रपत्र–स में पेश कर उच्च जलाशय संग्रहक हेतु ग्राम पंचायत खोखरिया के खसरा संख्या 166 राजस्व रेकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार (उत्तर) व पटवारी (उत्तर) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत खोखरिया के खसरा नं. 166 राजस्व रेकोर्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा जोधपुर से जयपुर जाने वाली रेल लाईन से लगता हुआ है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम पंचायत खोखरिया के खसरा नं. 166 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है जोधपुर मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग में उच्च जलाशय संग्रहक निर्माण (P.U.) का उल्लेख नही है। अतः भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खोखरिया के खसरा सख्या 166 में 1000 वर्ग मीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के कम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही चूंकि खसरा संख्या 166 ग्राम पंचायत खोखरिया मास्टर प्लान–2023 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के क्षेत्र में स्थित है। अतः चूंकि नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 8 जून, 2015 के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकृत कार्यकारी समिति है, के द्वारा व्यापक जनहित का प्रकरण होने से भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से राजकीय कार्यालय (सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक संस्थान) करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार इस प्रकार के प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होने से प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: **प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के एजेण्डा नोट**

25.5.18

प्रस्ताव संख्या 01 :– भूखण्ड संख्या 1 सेक्टर ओ विवेक विहार योजना के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में लोटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 1 सेक्टर ओ कोर्नर श्री नवीन मीना पुत्र श्री बाबुलाल मीना को 418.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड आंवटित था मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिक होने व कुल नाप 602.23 वर्गमीटर होने के कारण आंवटी द्वारा अधिक क्षेत्रफ्ल की राशि जमा नही कराने का निवेदन किया है। आंवटित द्वारा उक्त भूखण्ड इसी योजना में इसी नाप का आंवटन करने की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रस्ताव अनुसार सर्व सम्मति से बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि श्री नवीन मीना पुत्र श्री बाबूलाल मीना को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 1 सेक्टर– ओ (कॉर्नर) के स्थान पर समान क्षैत्रफल का भूखण्ड (कॉर्नर) प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 02 :– श्रीमती शिमला लोहिया पत्नि श्री महेश लोहिया को आवंटित भूखण्ड संख्या 86 सेक्टर जी पूर्वी पाल योजना के स्थान पर राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 86 सेक्टर जी क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर **श्रीमती शिमला लोहिया पत्नि श्री महेश लोहिया** को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 86 सेक्टर जी खसरा नं. 740 / 1008 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरे में विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार वाद लम्बित होने के कारण आवंटी द्वारा सहमति प्रस्तुत कर राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आंवटन की मांग की हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में श्रीमती शिमला लोहिया पत्नि श्री महेश लोहिया को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 86 सेक्टर जी क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर के स्थान पर अरणा विहार योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 03 :– श्री हरगोविन्द पुत्र श्री घासीराम को आवंटित भूखण्ड संख्या 3 सेक्टर डी पूर्वी पाल योजना के स्थान पर रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 3 सेक्टर डी क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर श्री **हरगोविन्द पुत्र श्री घासीराम** को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 248.5 वर्गमीटर सेक्टर डी खसरा नं. 740 / 1011 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरे में विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार वाद लम्बित होने के कारण आवंटी द्वारा सहमति प्रस्तुत कर रामराज नगर योजना में भूखण्ड आंवटन की मांग की हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

25.4.18

निर्णय

बैठक में श्री हर गोविन्द पुत्र श्री घासीराम को पूर्वी पाल रोड योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या–3 सेक्टर डी क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 28 :: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम–2009 के अन्तर्गत मेगा आवास योजना ग्राम आंगणवा के खसरा न. 73 रकबा 58.10 बिघा व खसरा न. 14 रकबा 235.17 बीघा में से 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन बाबत्।

अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम–2009 के अन्तर्गत मेगा आवास योजना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अर्फोडेबल आवासीय योजना हेतु राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान आवासन विकास इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड, यूनिट–प्रथम 18 ई, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर को ग्राम चौखा के खसरा संख्या 74 में 25 बीघा भूमि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23, 24 सितम्बर, 2013 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसरण में प्राधिकरण के पत्रांक 57–63 दिनांक 07.05.2013 के द्वारा भूमि का आवंटन इस शर्त पर किया गया कि उक्त भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में होने से माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर योजना प्रारम्भ करने एवं भूमि की आरक्षित दर राज्य सरकार /प्राधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार वसूल की जायेगी । उक्त भूमि आवंटन के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड द्वितीय, जोधपुर ने अपने पत्रांक अअ/जिख II/जो 2013–14/4937 दिनांक 28.10.2013 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता रा.वि.ल. जोधपुर को अवगत कराया कि उक्त भूमि खसरा नं. 74 उम्मेद सागर बॉध के केचमेन्ट क्षेत्र में होने से आवासों के निर्माण से केचमेन्ट क्षेत्र नष्ट होगा जिसके क्रम में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पत्रांक एफ/46/आवंटन (पश्चिम) 2014/496 दिनांक 09–06–2014 द्वारा स्थिति स्पष्ट न होने तक निर्माण कार्यवाही रोकने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र क्रमांक उपायुक्त (उत्तर) 2014/289–292 दिनांक 21.7.2014 द्वारा राजस्थान आवासन विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर को राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 73 व 74 मे से 25 बीघा भूमि का आवंटन ग्राम चौखा के खसरा संख्या 74 में आवंटित 25 बीघा भूमि के बदले (विनिमय) के बदले किया गया तथा राजस्व ग्राम चौखा में इसी आशय हेतु पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया गया । जिसके क्रम में रा.वि.ल. को उक्त भूमि का कब्जा हस्तानान्तरित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन सहशुल्क अथवा निःशुल्क किये जाने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर से भूमि मार्गदर्शन चाहा गया। उक्त नवीन आवंटन का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या 3(13) द्वारा किया गया । इसी संबंध में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या एफ–46/उपायुक्त (उतर)/जेडिए/2015/72 दिनांक 30.03.2015 द्वारा संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर से उक्त आवंटन का राज्य सरकार से अनुमोदन एवं प्रश्नगत भूमि के सशुल्क अथवा निःशुल्क आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया । जिसके प्रतिउतर में संयुक्त शासन सचिव (तृतीय) ने अपने पत्रांक प. 1(20)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 22 जुलाई, 2015 द्वारा आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की राय/अतिरिक्त जानकारी चाही थी ।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 08.06.2015 को चीफ जनरल मैनेजर राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जयपुर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड अहमदाबाद के मध्य त्रिपक्षीय एग्रीमेन्ट राजस्व ग्राम आगंणवा के

25.4.18

खसरा संख्या 73 व 74 के रकबा 25 बीघा बाबत् सम्पादित हुआ । प्रसंग में नगरिय विकास एवं आवासीय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की राज्य स्तरीय (S.L.S and M.C.) बैठक दिनांक 10.11.2015 में पारित एजेण्डा संख्या 1 में उक्त प्रोजेक्ट के बाबत् निर्णय पारित किया गया ।

प्राधिकरण द्वारा पत्रांक जेडिए/CMJAY/1095 दिनांक 15.02.2018 द्वारा रा.वि.ल. जोधपुर को राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 73 व 74 में से आवंटित 25 बीघा भूमि का संदर्भित आवंटन आदेश निरस्त किया गया तथा आवासीय प्रबंधक रा.वि.ल. जोधपुर को ग्राम आंगणवा में प्रगतिरत मेगा आवास योजना हेतु हस्तानान्तरित 25 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में आवासीय प्रबंधक रूडसिको यूनिट, प्रथम, जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक रूडसिको/जेयू/1/541 दिनांक 20.02. 2018 द्वारा उक्त भूमि प्राधिकरण के प्रतिनिधी को पुनः हस्तानान्तरित एवं सुपुर्द कर दी गई । प्रस्तावित मेगा आवास योजना में प्राप्त आवेदनों की लॉटरी के उपरान्त सफल आवेदकों की सूची राविल द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई। प्रकरण में दिनांक 08.06.2015 को चीफ जनरल मैनेजर राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जयपुर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड अहमदाबाद के मध्य त्रिपक्षीय एग्रीमेन्ट में वर्णित बिन्दु संख्या 11 व 12 का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है :–

11 That after completion of 50% (financially) of the main project second party shall issue the lease deed/patta Vilekh of the 25% area of the land provided in favor of the third party. The terms and conditions of the lease deed shall clearly reflect that the third party shall have ownership rights of 25% of land of scheme area (i.e. the land remain after planning of EWS/LIG/MIG-A). The third party exactly in accordance with the terms and conditions of the patta so received shall be free to mortgage the patta so received, for obtaining the loan for development of the project.

12. That second party shall issue the lease deed/patta Vilekh in favor of the third favor of the third party without paying any fee for conversion, approval of building plan, external development charges for total area under project/scheme. The second party shall be responsible for external development of the project site. Exemption of lease money will be for 75% (EWS and LIG & MIG-A) for balance area lease money will be paid by the developer.

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम–2009 के अन्तर्गत मेगा आवास योजना ग्राम आगंणवा बाबत् पूर्व में आवंटन, निरस्तीकरण सहित के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही एवं राजस्व ग्राम आंगणवा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 73 रकबा 58.10 बीघा एवं खसरा संख्या 74 रकबा 235.17 बीघा गैर मुमकिन पहाड में से प्रस्तावित (चिन्हित)25 बीघा भूमि पर प्रगतिरत योजना में विकासकर्ता को शेष 25 प्रतिशत भूमि (सर्वे प्लान में अंकन अनुसार) अर्थात् 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि नियमानुसार निःशुल्क आवंटित किये जाने तथा तत्पश्चात् पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं तीनों पक्षों के बीच एम.ओ.यू. का एवं अभियांत्रिकी शाखा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत मेघा आवास योजना ग्राम आंगणवा में खसरा संख्या 73 एवं खसरा संख्या 74 की भूमि में से चिन्हित कर 25 बीघा भूमि पर प्रगतिरत् योजना में विकासकर्ता को (सर्वे प्लान के अनुसार) उपरोक्त अनुसार 25 प्रतिशत भूमि अर्थात् 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि एम.ओ.यू. में अंकित शर्तों सहित निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

25.4.18

प्रस्ताव संख्या 29 :: सरकारी संस्थाओं को भूमि आवंटन एवं भू–उपयोग परिवर्तन बाबत।

क्र. सं.	आवेदन विवरण	क्षैत्रफल	ग्राम	खसरा सख्या	जोधपुर मास्टर प्लान में उपयोग
1.	राजकिय पशु चिकित्सालय उप केन्द्र सालवां कलां के उपयोग हेतु।	1000 मीटर	सालवां कलां	327	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
2.	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान।	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	हमीर नगर	320	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
3.	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान।	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	मोगडा कलां	295	PCB (मास्टर प्लान 2023)
4.	महिला एवं बाल विकास विभाग आगनवाडी कैन्द्र	01 बीघा	सएालावास	293	PCB (मास्टर प्लान 2023)
5.	महिला एवं बाल विकास विभाग आगनवाडी कैन्द्र	01 बीघा	सालावास	856 / 403	PCB (मास्टर प्लान 2023)
6.	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	10 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	लूणावास खुर्द	112	Rural Area+Part U3 (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
7.	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	मोगडा कलां	295	PCB (मास्टर प्लान 2023)
8.	राजकीय प्रा. विद्यालय	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	तनावडा	136	आवासीय (मास्टर प्लान 2023)
9.	पशु चिकित्सा केन्द	1000 वर्गमीटर	मोगडा कलां	366 / 3	PCB (मास्टर प्लान 2023)
10.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	1000 वर्गमीटर	बोरानाडा	181 / 1	औद्योगिक (मास्टर प्लान 2023)
11.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	1000 वर्गमीटर	सालावास	463 / 1	PCB (मास्टर प्लान 2023)
12.	विद्यालय भवन	5 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	रोहिचा कलां	143	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप)
13.	उच्च जलाशय एवं भण्डारण हेतु जन	2500 वर्गमीटर	जाजीवाल ब्राहमणा	225	PCB (मास्टर प्लान 2023)

25.4.12

	स्वास्थय अभियांत्रिक विभाग				
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	2 बीघा	घीगाणा	192	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
15.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	1000 वर्गमीटर	भवाद	286	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
16.	33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु भूमि आंवटन	1000 वर्गमीटर	मोडी जोशियान	34	Water Body (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
17.	आंगनवाडी केन्द्र हेतु	1000 वर्गमीटर	मोडी जोशियान	34	Water Body (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
18.	जीएसएस 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु भूमि आंवटन	1000 वर्गमीटर	खाराबेरा पुरोहितान	348	Water Body (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
19.	ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग आंगनवाडी केन्द्र	1000 वर्गमीटर	खाराबेरा पुरोहितान	764	Plantation Belt (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप))
20.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	1760 वर्गमीटर	पातो की बासनी	93	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप)
21.	आंगनवाडी केन्द्र	1000 वर्गमीटर	गंगाणा	1	PCB (मास्टर प्लान 2023)
22.	आंगनवाडी केन्द्र	1000 वर्गमीटर	नारनाडी	317	PCB (मास्टर प्लान 2023)
23.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	1000 वर्गमीटर	काकेलाव	537/1	Land Pooling and Redistribution (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप)
24.	पचायत कार्यालय भवन	1000 वर्गमीटर	महादेव नगर	646	Rural Area (मास्टर प्लान 2031(प्रारूप)
25.	पचायत कार्यालय भवन	1000 वर्गमीटर	तनावडा	157	PCB (मास्टर प्लान 2023)

बिन्दु संख्या 1 से 25 में सरकारी संस्थाओं प्रस्तावित भूमि आवंटन उनके आवेदन अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन को उजर एतराज हेतु आम सूचना दिनांक 29.03.2018 को निर्धारित प्रारूप में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कि गयी जिसमें कोई उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है। बिन्दु संख्या 1,2,3.4,6,7,18में आंवटन करने निर्णय कार्यकारी समिति पूर्व बैठक

25.4.18

में लिया गया है। शेष रहे प्रकरण में उनके क्षेत्रफल अनुसार आंवटन करने का अनुमोदन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बिन्दु संख्या 1 से 25 का भू–उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 410(35)नविवि/3/2010 दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु संख्या 6 अनुसार 6000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भू–उपयोग परिवर्तन के निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण अधिकृत है। निधारित सीमा के क्षैत्रफल जिसके प्राधिकरण अधिकृत है का अनुमोदन करने हेतु कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है। निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण मय अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाने हेतु कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
बिन्दु संख्या 16 से 18 तक का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2031 प्रारूप अनुसार वॉटर बोडी दर्शाया गया है। बिन्दु संख्या 19 का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2031 प्रारूप अनुसार प्लानटेशन बैल्ट दर्शाया गया है। इस प्रकार के भू–उपयोग में भूमि की किस्म प्रतिबधित नही है परन्तु मास्टर प्लान अनुसार भू–उपयोग उपयुक्त नही बताया गया है। अतः इस तरह के प्रकरण मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को प्रेषित किए जाते है। उक्त प्रकरण मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को प्रेषित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपरोक्त तालिका में वर्णित प्रकरणों के संबंध में मास्टर प्लान में भू–उपयोग से संबंधित निम्नलिखित अनुसार टिप्पणी तालिका के रूप में प्रस्तुत की।

क्र. सं.	आवेदन विवरण	स्वामित्व	ग्राम	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अनुसार भू–उपयोग	कार्यकारी समिति निर्णय संख्या ....व दिनांक	सरकार से स्वीकृति प्राप्ति दिनांक/कमांक	मौके पर निर्माण/उपयोग की स्थिति
1.	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र सालवां कलां के उपयोग हेतु।	जेडीए	सालवां कलां	327	गोचर	1000 वर्गमीटर	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव सख्या 48 (01) दिनांक 09.02. 2018	–	रिक्त
2	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किस्म गै.मु. स्कूल है।	हमीर नगर	320	गै.मु. स्कूल	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव सख्या 48 (11) दिनांक 09.02. 2018	–	विद्यालय भवन निर्मित है।
3	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	जेडीए	मोगड़ाकलां	295	गोचर	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, आवासीय यू–2, सडक मार्गाधिकार व वृक्षारोपण	–	–	मौके पर 5 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन मय चार दीवारी निर्मित है।
4	महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाडी केन्द्र	जेडीए	सालावास	293	बारानी द्वितीय	01 बीघा	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार आई.एफ.सी. (इन्टीग्रेटेड फ्राईट कोरिडोर), आर.एस. (रेलवे स्टेशन एण्ड यार्ड)	प्राधिकरण की बैठक प्रस्ताव सख्या 18 (41) दिनांक 15.05. 2017	प.1 (29) नविवि/जोधपुर /2017 दिनांक 22.08.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार एवं जमीन की किस्म को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने के आदेश प्रदत्त है।	रिक्त
5	महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाडी केन्द्र	जेडीए	सालावास	856/403	बारानी द्वितीय	01 बीघा	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार कारपोरेट पार्क एवं वृक्षारोपण	प्राधिकरण की बैठक प्रस्ताव सख्या 18 (42) दिनांक 15.05. 2017	प.1 (29) नविवि/जोधपुर /2017 दिनांक 22.08.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार एवं जमीन की किस्म को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने	500 वर्गगज भूमि आंगनवाडी केन्द्र हेतु रिक्त पाई गई एवं शेष भूमि पर अतिकमण पाया गया।

25.4.18

									के आदेश प्रदत्त है।	
6	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	जेडीए	लूणावास खुर्द	112	गोचर	10 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	Rural Area + Part U3	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 48 (10) दिनांक 09.02.2018	–	विद्यालय भवन लगभग 2.10 बीघा पर निर्मित है। जबकि खेल मैदान हेतु चार दीवारी का निर्माण नही पाया गया।
7	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	जेडीए	मोगड़ाकलां	295	गोचर	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, आवासीय यू–2, सड़क मार्गाधिकार व वृक्षारोपण	–	–	मौके पर 5 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन मय चार दीवारी निर्मित है।
8	राजकीय प्रा. विद्यालय	जेडीए	तनावड़ा	136	बारानी चतुर्थ	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	आवासीय (मास्टर प्लान–2023)	–	–	मौके पर लगभग 8 बीघा भूमि पर खेल मैदान विद्यालय भवन मय चार दीवारी निर्मित है।
9	पशु चिकित्सा केन्द्र	जेडीए	मोगड़ाकलां	366/3	गोचर	1000 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार आवासीय	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 24 दिनांक 16.06.2017	–	रिक्त
10	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	जेडीए	बोरानाडा	181/1	बारानी प्रथम	1000 वर्गममीटर	औद्योगिक (मास्टर प्लान–2023)	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 16.06.2017	–	रिक्त
11	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	जेडीए	सालावास	463/1	गोचर	1000 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार कारपोरेट पार्क	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 25 दिनांक 16.06.2017	–	रिक्त
12	विद्यालय भवन	जेडीए	रोहिचा कलां	143	गोचर	05 बीघा या मौका अनुसार (जो भी कम हो)	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	मौके पर लगभग 5 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन एवं चार दीवारी निर्मित है तथा विद्यालय संचालित पाया गया।
13	उच्च जलाशय एवं भण्डारण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जेडीए	जाजीवाल ब्राह्मणा	225	गै.मु. लाटा	2500 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार यू–2	कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.04.2018	भू–उपयोग अनुज्ञेय है।	रिक्त
14	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	जेडीए	धींगाणा	192	बी–4	2 बीघा	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))			2 बीघा भूमि पर भवन
15	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	जेडीए	भवाद	286	गै.मु ओरण	1000 वर्गमीटर	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 09.02.2018	–	7.14 बीघा पर विद्यालय भवन निर्मित तथा चार दीवारी निर्मित
16	33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	जेडीए	मोडी जोशियान	34	गै.मु. गोचर	1000 वर्गमीटर	Water Body (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	रिक्त
17	आंगनवाडी केन्द्र	जेडीए	मोडी जोशियान	34	गै.मु. गोचर	1000 वर्गमीटर	Water Body (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	रिक्त
18	जी.एस.एस. 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	जेडीए	खाराबेरा पुरोहितान्	348	गै.मु. गोचर	1000 वर्गमीटर	Water Body (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	रिक्त
19	ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग आंगनवाडी केन्द्र	जेडीए	खाराबेरा पुरोहितान्	764	गै.मु. गोचर	1000 वर्गमीटर	Water Body (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	रिक्त
20	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	जेडीए	बासनी पान्ता	93	गै.मु आबादी	1760 वर्गमीटर	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	कार्यकारी समिति की बैठक प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 09.02.2018	–	1408 वर्गमीटर भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है।
21	आंगनवाडी केन्द्र	जेडीए	गंगाणा	01	गै.मु.दरड़ा	1000 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023)	–	भू–उपयोग अनुज्ञेय है।	रिक्त

25.4.18

							मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार यू–2			
22	आंगनवाड़ी केन्द्र	जेडीए	नारनाडी	317	गै.मु. ओरण	1000 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार यू–2	–	भू–उपयोग अनुज्ञेय है।	रिक्त
23	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	जेडीए	कांकेलाव	537/1	बारानी–प्रथम	1000 वर्गमीटर	Land Pooling and Redistribution (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	–	–	विद्यालय भवन निर्मित
24	पंचायत कार्यालय भवन	जेडीए	महादेव नगर	646	गै.मु भाकर	1000 वर्गमीटर	Rural Area (मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप))	कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17.04.2018	भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त है।	रिक्त
25.	पंचायत कार्यालय भवन	जेडीए	तनावड़ा	157	गै.मु गोचर	1000 वर्गमीटर	PCB (मास्टर प्लान–2023) मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) के अनुसार आवासीय	कार्यकारी समिति बैठक प्रस्ताव संख्या 34 व दिनांक 15.11.2017	कमांक प.1(9) नविवि/जोधपुर/2018 दिनांक 13.03.2018	रिक्त

बैठक में प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि उपरोक्त तालिका में कम संख्या 1 से 25 में वर्णित सरकारी संस्थाओं हेतु प्रस्तावित भूमि आवंटन एवं उनके आवेदन अनुसार दैनिक समाचार–पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 29 मार्च, 2018 में आम सूचना प्रकाशित की गयी थी। जिसमें निर्धारित 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक (आयोजना) ने अवगत कराया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प. 1 (64) नविवि/ जोधपुर/ 2017 दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के द्वारा इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ. 37 /भूउप/ (67/2016)/ 2017/34 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के कम में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में मार्गदर्शन भिजवाया गया है जिसमें नगरीय विकास विभाग के कार्यवाही विवरण दिनांक 25 जुलाई, 2017 को जारी कार्यवाही विवरण की प्रति भिजवायी गयी है। जिसमें दिनांक 12 जुलाई, 2017 को माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही भिजवाया गया है। उक्त कार्यवाही विवरण के 2 बिन्दु विशेष रूप से भू–उपयोग परिवर्तन के कम में उल्लेखनीय है। प्रथम वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रभावी मास्टर प्लान –2023 के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जावे, तथा द्वितीय वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित नये राजस्व ग्रामों के क्षैत्र प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जावे बशर्ते प्रारूप मास्टर प्लान में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो। साथ ही आयोजना शाखा की रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रस्तुत 25 प्रकरणों में जो कि 2023 के मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में आवंटन की मांग की गयी है तथा प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के क्षैत्र में आवंटन की मांग की गयी है। उपरोक्त प्रकरणों के दोनों ही मामलों में प्रारूप मास्टर प्लान के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे एवं इन प्रकरणों में आवेदित खसरा नम्बर पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प. 10 (35) नविवि/3/ 2010 दिनांक 8 जून, 2015 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार 6000 वर्ग मीटर क्षैत्रफल तक के भू–उपयोग परिवर्तन के निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति अधिकृत है। साथ ही उल्लेखनीय है कि गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार की जनहित याचिका 1554/2004 में पारित निर्णय दिनांक 12 जनवरी, 2017 के अनुसार व्यक्तिगत मामले में भू–उपयोग परिवर्तन करने पर रोक है एवं केवल व्यापक जनहित के प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.10 (35) यूडीएच/ 3/ 2010 दिनांक 20 जुलाई, 2017 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु इसी पत्र के अन्तिम पैरा में यह अंकित किया गया है कि इस प्रकार के किसी भी व्यापक जनहित के मामले में अन्तिम आदेश राज्य सरकार की अनुमति से ही जारी किये जावेंगे। प्रकरणवार कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र. सं.	आवेदन विवरण	ग्राम	कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया गया निर्णय

15-4-18

1.	राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र सालवां कलां के उपयोग हेतु।	सालवां कलां	प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र होने से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पशु चिकित्सालय हेतु संस्थानिक भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि इस प्रकरण में पूर्व में निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2018 में लिया जा चुका है। अतः प्रकरण राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 के निर्देशों में भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।
2	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	हमीर नगर	प्रकरण में भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है एवं किस्म गैर मुमकिन स्कूल अंकित है। लिहाजा प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही कार्यकारी समिति स्तर पर अपेक्षित नहीं है।
3	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	मोगड़ाकलां	मौके पर 5 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन बना हुआ है। अतः कार्यकारी समिति का निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया एवं 5 बीघा भूमि के भू–उपयोग 2031 के प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार मिश्रित आवासीय, यू–2, सडक मार्गाधिकार व वृक्षारोपण से विद्यालय (संस्थानिक) करने की अनुशंषा करने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन एवं निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किया जावे।
4	महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केन्द्र	सालावास	प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग को सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक संस्था (राजकीय विद्यालय) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन 1000 वर्ग मीटर तक करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किया जावे।
5	महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केन्द्र	सालावास	प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 500 वर्ग गज भूमि का आंगनवाडी केन्द्र हेतु राजकीय कार्यालय (सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक संस्था) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किया जावे।
6	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	लूणावास खुर्द	मौके पर विद्यालय 2.10 बीघा भूमि पर निर्मित है जिसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र प्लस यू–2 से विद्यालय (संस्थानिक) के लिए करने का निर्णय लिया गया व प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
7	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	मोगड़ाकलां	मौके पर 5 बीघा भूमि पर विद्यालय बना हुआ है। अतः कार्यकारी समिति का निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया एवं 5 बीघा भूमि के भू–उपयोग 2031 के प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार मिश्रित आवासीय, यू–2,

25.4.19

			सडक मार्गाधिकार व वृक्षारोपण से विद्यालय (संस्थानिक) करने की अनुशंषा करने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन एवं निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किया जावे।
8	राजकीय प्रा. विद्यालय	तनावड़ा	मौके पर 8 बीघा भूमि पर खेल मैदान, विद्यालय भवन मय चार दिवारी निर्मित है। प्रकरण में 8 बीघा भूमि का मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग आवासीय होने से विद्यालय (संस्थानिक) स्वरूप में भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि 8 बीघा भूमि 6000 वर्ग मीटर से अधिक है जिसके भू–उपयोग परिवर्तन करने के लिए राज्य स्तरीय समिति ही सक्षम है। साथ ही निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार को अनुशंषा करने का भी निर्णय लिया गया।
9	पशु चिकित्सा केन्द्र	मोगड़ाकलां	चूंकि प्रकरण में भूमि निःशुल्क आवंटन करने का कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। लिहाजा 1000 वर्ग मीटर भूमि का 2031 के प्रारूप मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय से पशु चिकित्सालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
10	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	बोरानाडा	प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया जा चुका है। लिहाजा समिति द्वारा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मास्टर प्लान 2023 में अंकित औद्योगिक भू–उपयोग से पशु चिकित्सालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार को भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
11	पशु चिकित्सा उप केन्द्र	सालावास	प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया जा चुका है। लिहाजा समिति द्वारा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मास्टर प्लान 2031 में अंकित कार्पोरेट पार्क भू–उपयोग से पशु चिकित्सालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण राज्य सरकार को भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
12	विद्यालय भवन	रोहिचा कलां	मौके पर 5 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन व चार दीवारी निर्मित है। अतः निःशुल्क भूमि आवंटन करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया साथ ही 5 बीघा भूमि के लिए मास्टर प्लान प्रारूप 2031 में अंकित ग्रामीण क्षैत्र से विद्यालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदित क्षैत्रफल 6000 वर्ग मीटर से अधिक होने से भू–उपयोग परिवर्तन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है।
13	उच्च जलाशय	जाजीवाल	प्रकरण में उच्च जलाशय एवं भण्डारण हेतु जन

28-5-18

	एवं भण्डारण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ब्राह्मणा	स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तालिका अनुसार 2500 वर्ग मीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन करने के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार यू–2 में उक्त भू–उपयोग अनुज्ञेय होने से भू–उपयोग परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं पायी गयी।
14	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	धीगाणा	2 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है इसलिए प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से विद्यालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं 2 बीघा भूमि के निःशुल्क आवंटन तथा भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु प्रकरण अनुशंषा सहित राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
15	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	भवाद	7–14 बीघा भूमि पर विद्यालय निर्मित है तथा 2031 के प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है लिहाजा विद्यालय (संस्थानिक) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन करने की राज्य सरकार को अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि 7–14 बीघा भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय समिति सक्षम है साथ ही निःशुल्क आवंटन के लिए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
16	33 / 11 के.वी. सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	मोडी जोशियान	प्रकरण में 1000 वर्ग मीटर भूमि 33 / 11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर आवंटन करने की अनुशंषा करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं मास्टर प्लान प्रारूप 2031 में भू–उपयोग वाटर बॉडी होने से एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से जो कि प्रतिबंधित किस्म आगौर, नाला, पायतन आदि नहीं है इसलिए भू–उपयोग परिवर्तन राजकीय कार्यालय सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक संस्था करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में आवंटन व भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
17	आंगनवाड़ी केन्द्र	मोडी जोशियान	प्रकरण में 1000 वर्ग मीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र लिए निःशुल्क भूमि आवंटन करने की अनुशंषा करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं मास्टर प्लान प्रारूप 2031 में भू–उपयोग वाटर बॉडी होने से एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से जो कि प्रतिबंधित किस्म आगौर, नाला, पायतन आदि नहीं है इसलिए भू–उपयोग परिवर्तन राजकीय कार्यालय सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक संस्था करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में आवंटन व भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
18	जी.एस.एस. 33 / 11 के.वी.	खाराबेरा पुरोहितान्	प्रकरण में 1000 वर्ग मीटर भूमि जी.एस.एस. 33 / 11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर

26.4.18

	सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन		आवंटन करने की अनुशंषा करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं मास्टर प्लान प्रारूप 2031 में भू–उपयोग वाटर बॉडी होने से एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से जो कि प्रतिबंधित किस्म आगौर, नाला, पायतन आदि नहीं है इसलिए भू–उपयोग परिवर्तन राजकीय कार्यालय सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक संस्था करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में आवंटन व भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
19	ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग आंगनवाड़ी केन्द्र	खाराबेरा पुरोहितान्	प्रकरण में 1000 वर्ग मीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र लिए निःशुल्क भूमि आवंटन करने की अनुशंषा करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं मास्टर प्लान प्रारूप 2031 में भू–उपयोग वाटर बॉडी होने से एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से जो कि प्रतिबंधित किस्म आगौर, नाला, पायतन आदि नहीं है इसलिए भू–उपयोग परिवर्तन राजकीय कार्यालय सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक संस्था करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में आवंटन व भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
20	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	बासनी पान्ता	1408 वर्ग मीटर भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है। लिहाजा भूमि आवंटन का प्रस्ताव पूर्व में लिया जा चुका है इसलिए 1408 वर्ग मीटर भूमि पर प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में ग्रामीण क्षेत्र से विद्यालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी करने व भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अनुशंषा सहित भिजवाने का निर्णय लिया गया।
21	आंगनवाड़ी केन्द्र	गंगाणा	प्रकरण में प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग यू–2 होकर अनुज्ञेय है एवं 1000 वर्ग मीटर तक नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार राजकीय विभाग को उनके कार्यालय के लिए 1000 वर्ग मीटर तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु विकास प्राधिकरण अधिकृत है। अतः उपरोक्तानुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
22	आंगनवाड़ी केन्द्र	नारनाडी	प्रकरण में प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार भू–उपयोग यू–2 होकर अनुज्ञैय है एवं 1000 वर्ग मीटर तक नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार राजकीय विभाग को उनके कार्यालय के लिए 1000 वर्ग मीटर तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु विकास प्राधिकरण अधिकृत है। अतः उपरोक्तानुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

25.4.18

23	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	कांकेलाव	प्रकरण में विद्यालय भवन निर्मित होने से 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार लैण्ड पूलिंग एवं रि–डिस्ट्रीब्यूशन के वर्तमान भू–उपयोग से विद्यालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
24	पंचायत कार्यालय भवन	महादेव नगर	चूंकि प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है लिहाजा पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निःशुल्क आवंटन के निर्णय के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि का प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग ग्रामीण क्षैत्र से राजकीय कार्यालय सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थान करने का निर्णय लिया गया।
25.	पंचायत कार्यालय भवन	तनावड़ा	पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निःशुल्क आवंटन के निर्णय के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि का प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग आवासीय से राजकीय कार्यालय सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थान करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: **अरोडा सर्कल से संवित सर्कल, गौरव पथ के बांये भाग व मुख्य सडक के फुटपाथ के पश्चात् खाली भूमि पर हाईफा हीरो की मूर्ति लगाने के सबंध में।**

अरोडा सर्कल से संवित सर्कल, गौरव पथ के बाये भाग में मुख्य सड़क के फुटपाथ के पश्चात् खाली भूमि जिस पर महोपुरूषों कि मूर्तिया विद्यमान है के मध्य रिक्त स्थान में जोधपुर के वीर मेजर दलपत सिंह जिन्हे " हाईफा हीरो " के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने इजराईल के हाईफा शहर की आजादी में वीर गति प्राप्त की इनकी मिश्र धातु की अश्व पर सवार मूर्ति लगाने की E.C. बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अरोडा सर्कल से संवित् सर्कल गौरव पथ के बांयी ओर मुख्य सडक के फुटपाथ के पश्चात् खाली भूमि को हाईफा हीरा वीर मैजर दलपत सिंह के नाम मूर्ति लगाने हेतु आरक्षित रखा जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या एफ 46/आवंटन शाखा/ E/C बैठक/17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 38..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

25.4.18

(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2018 / 336–352 दिनांक :: 25 अप्रैल,, 2018

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II / III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

25.4.18
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को दोपहर 3.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर (शहर), जोधपुर
2.	श्री संजीव माथुर, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	डॉ. दिनेश पेडीवाल, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4.	श्री जे.के. सोनी, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5.	श्री नारायण लाल मीणा, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
6.	श्री प्रवीण कुमार, उप अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस, जोधपुर
7.	श्री एच.एन. बुनकर, अतिरिक्त क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीका, जोधपुर
8.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक (वित्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री नन्द लाल शर्मा, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री भानुप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
13.	श्री लालचन्द चाण्डक, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
14.	श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री राकेश कुमार शर्मा, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

+ 802

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2018 / दिनांक :: मई, 2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का कार्यवाही विवरण इस कार्यालय की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक / 2018 / 336 दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा जारी किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण में निम्नानुसार अंकित त्रुटिपूर्ण टंकण को दुरूस्त किया जाता हैः–

1– प्रस्ताव संख्या 29 के निर्णय में अंकित तालिका के क्रम संख्या 4 पर महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाडी केन्द्र, सालावास के संबंध में अंकित निर्णय "प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग को सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक संस्था (राजकीय विद्यालय) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन 1000 वर्ग मीटर तक करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया...." के स्थान पर "प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग को राजकीय कार्यालय (आंगनवाडी केन्द्र) के लिए भू–उपयोग परिवर्तन एवं निःशुल्क भूमि आवंटन 1000 वर्ग मीटर तक करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया...." माना जावे।

2– प्रस्ताव संख्या 29 के निर्णय में अंकित तालिका के क्रम संख्या 29 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काकेलाव के संबंध में अंकित निर्णय "प्रकरण में विद्यालय भवन निर्मित होने से 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के अनुसार लैण्ड पूलिंग एवं रि–डिस्ट्रीब्यूशन के वर्तमान भू–उपयोग से विद्यालय (संस्थानिक) भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्तानुसार प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। " के स्थान पर निम्नानुसार निर्णय माना जावेः–

"प्रकरण में विद्यालय भवन निर्मित होने से 1 बीघा भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन एवं निःशुल्क आवंटन की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।"

3– प्रस्ताव संख्या 27 (3) में अंकित निर्णय "बैठक में श्री हर गोविन्द पुत्र श्री घासीराम को पूर्वी पाल रोड योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या–3 सेक्टर डी क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया जाता है।" के स्थान पर निम्नानुसार निर्णय माना जावेः–

"बैठक में श्री हर गोविन्द पुत्र श्री घासीराम को पूर्वी पाल रोड योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या–3 सेक्टर डी क्षैत्रफल 248.85 वर्ग मीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया जाता है।"

(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2018/7388–404 दिनांक :: 21 मई, 2018

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय/उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(अरूण पुरोहित)
सचिव